उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-11

संख्या-463/एक-11-2022

लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2022

अधिसूचना

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) की धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य में अनन्य रूप से आपदा न्यूनकरण के प्रयोजनार्थ परियोजनाओं के लिये राज्य आपदा न्यूनकरण निधि स्थापित करती हैं। उक्त निधि भारत सरकार द्वारा उपबन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रशासित की जायेगी।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-11

संख्या-463/एक-11-2022

लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2022

अधिसूचना

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) की धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य में अनन्य रूप से आपदा न्यूनकरण के प्रयोजनार्थ परियोजनाओं के लिये राज्य आपदा न्यूनकरण निधि स्थापित करती हैं। उक्त निधि भारत सरकार द्वारा उपबन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रशासित की जायेगी।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।